Neutral Citation
2019:CGHC:20380-DB

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित रखा गया: 27.06.2019

निर्णय सुनाया गया: 25.07.2019

रिट अपील क्रमांक: 326/2017

(रिट याचिका क्रमांक 2154/1987 में विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2017 से उत्पन्न)

1. जंगबहादुर सिंह, पिता स्वर्गीय श्री त्रिलोचन सिंह, उम्र लगभग 61 वर्ष, निवासी – नयापारा, गीदम रोड, जगदलपुर (छ.ग.)

2. प्रीतपाल सिंह, पिता स्वर्गीय श्री त्रिलोचन सिंह, उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी – नयापारा, गीदम रोड, जगदलपुर (छ.ग.)

3. श्रीमती सुरिंदर कौर, पत्नी श्री कुलवंत सिंह, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी – नागपुर, महाराष्ट्र

4. श्रीमती जतिंदर कौर, पत्नी श्री परमजीत सिंह बेदी, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी – भरूच, गुजरात

.....**अपीलकर्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य (पूर्व में मध्यप्रदेश) मुख्य सचिव, शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर

2. राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर/रायपुर/जगदलपुर

3. अतिरिक्त बंदोबस्त आयुक्त–सह–प्राधिकृत अधिकारी (कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 के अंतर्गत), रायपुर (पूर्व में 'मोती महल, ग्वालियर' के रूप में उल्लेखित)

(प्रतिवादी क्र.4 श्रीमती वेदवती उर्फ सुभराज कुमारी का निधन हो चुका है और उनके कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हैं, इसलिए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया।)

.....**प्रतिवादी**

अपीलकर्ता की ओर से: श्री बी. पी. शर्मा, अधिवक्ता

श्री समीऱ उरांव, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3 (राज्य) की ओर से: श्री गगन तिवारी, उप. शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री पी. आर. रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय न्यायाधीश श्री संजय के. अग्रवाल,

सीएवी आदेश

न्यायमूर्ती श्री संजय के. अग्रवाल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

01. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंड पीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2 (1) के अधीन इस न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को लागू करते हुए, इसमें अपीलार्थी, जो रिट याचिकाकर्ता सरदार त्रिलोचन सिंह के विधिक प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने रिट याचिका क्रमांक 2154/1987 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता, प्रभावशीलता एवं शुद्धता को चुनौती देते हुए इस रिट अपील को प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत उनकी रिट याचिका को खारिज करते हुए कोई गुणदोष नहीं पाया गया है, इस प्रकार पारित आदेश को कानून के विपरीत करार दिया गया है।

02. वादग्रस्त संपत्ति श्रीमती वेदवती (रिट याचिका में वह प्रतिवादी क्रमांक 4 थीं,) की थी, जो बस्तर के महाराजा स्वर्गीय प्रवीन चंद भंजदेव की विधवा थीं। उन्हे इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया क्योंकि उनका निधन निःसंतान (बिना किसी उत्तराधिकारी छोड़े) हो गया था। संयुक्त प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.07.1985 को मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे आगे "1960 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 11 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 के स्वामित्वाधीन 60.87 एकड़ भूमि, जिसमें मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई भूमि भी सम्मिलित थी, को अधिशेष भूमि घोषित कर राज्य में

निहित कर दिया गया। मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर कर यह अभिवचन प्रस्तुत किया गया कि वह खसरा नंबर 30, क्षेत्रफल 26.50 एकड़, स्थित जगदलपुर (बस्तर) का स्वामी है, जिसकी निहितता आदेश दिनांक 05.07.1985 के अंतर्गत राज्य में की गई एवं याचिकाकर्ता ने उक्त भूमि पर अपना अधिकार श्रीमती वेदवती द्वारा प्रदत्त पट्टे के आधार पर दावा किया। प्रतिवादी क्रमांक 4 वेदवती ने वर्ष 1970–71 में याचिकाकर्ता को उक्त भूमि का वास्तविक भौतिक एवं कृषियोग्य कब्जा प्रदान किया। याचिकाकर्ता ने यह भी अभिकथन किया कि वर्ष 1970–71 से राजस्व अभिलेखों में उसका नाम अंकित किया गया, जिससे उसे अधिभोगी किराएदार (Occupancy Tenant) का दर्जा प्राप्त हुआ। तत्पश्चात, तहसीलदार जगदलपुर द्वारा दिनांक 03.01.1986 को पारित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को उक्त भूमि का भूमिस्वामी (Bhoomiswami) घोषित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम, 1960 की धारा 11(5) के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को राजस्व मंडल द्वारा परिसीमा (limitation) के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया तथा पुनर्विलोकन याचिका (review petition) भी राजस्व मंडल द्वारा निरस्त कर दी गई। अतः, आदेश दिनांक 05.07.1985 तथा पुनरीक्षण एवं अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों को निरस्त किए जाने एवं रिट याचिका को स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिका दिनांक 22.07.1987 को प्रस्तुत की गई थी एवं दिनांक 19.10.2016 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गई थी, अपील/पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए, प्रकरण राजस्व मंडल को पुनः विचारार्थ भेजने के स्थान पर गुण–दोष के आधार पर सुनवाई करने का निर्णय लिया, जिस पर पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने सहमति व्यक्त की तथा पक्षकारों की गुण–दोष के आधार पर सुनवाई के पश्चात, विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा रिट याचिका को यह निर्णय देते हुए निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता को प्रदत्त, स्वीकृत या उत्पन्न हुआ भूमिस्वामी अधिकार स्वयं ही अधिनियम, 1960 की धारा 5 एवं धारा 6–बी के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अवैध एवं निष्प्रभावी है, तथा याचिकाकर्ता को कोई भी अनुतोष प्रदान करने से इंकार कर दिया गया। इस रिट अपील के माध्यम से यह लंबित वाद प्रस्तुत किया गया है।

04. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी. पी. शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेश असंगत एवं अभिलेख पर उपलब्ध तथ्य एवं विधि के प्रतिकूल है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अधिनियम, 1960 की धारा 6–बी वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता संबंधित भूमि का अधिभोगी किराएदार उस तिथि से पूर्व ही बन चुका था, जब धारा 6–बी के प्रावधान प्रभावी हुए, जो कि दिनांक 24.01.1984 से लागू हुए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनांक 03.01.1996 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ भू– राजस्व संहिता, 1959 की धारा 169 सहपठित धारा 190 के अंतर्गत भूमिस्वामी का दर्जा प्रदान किया गया था, अंतिम रूप से प्रभावी हो चुका है, तथा इसे प्रतिवादी राज्य या प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा कभी भी चुनौती नहीं दी गई। अतः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश एवं इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा धारित पट्टे के संदर्भ में दिनांक 05.07.1985 का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05. इसके विपरीत, प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 3/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री गगन तिवारी ने विवादित आदेश का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश त्रुटिहीन है तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट अपील निरस्त किए जाने योग्य है ।

06. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गए, तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया, तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया।

07. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत पारित आदेश, जिसके द्वारा विवादित भूमि को अधिनियम, 1960 की धारा 11 के अंतर्गत राज्य के पक्ष में निहित करते हुए इसे भूमि धारक (रिट याचिका में प्रतिवादी क्रमांक 4) की अधिशेष भूमि घोषित किया गया, को चुनौती देने में हस्तक्षेप करने से इंकार किया जाना विधिसम्मत है?

08. अधिनियम, 1960 का उद्देश्य कृषि जोत पर अधिकतम सीमा निर्धारित करना, अधिशेष भूमि का अधिग्रहण एवं उसका वितरण तथा इससे संबंधित विषयों का विनियमन करना है। अतः अधिनियम, 1960 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, इसके व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। सीलिंग अधिनियम एक सामाजिक कल्याणकारी विधि है, जिसे संविधान की प्रस्तावना एवं निति निदेशक में निहित सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया है। सीलिंग अधिनियम का उद्देश्य अधिशेष भूमि को शासन के पक्ष मे उपलब्ध कराना है ताकि उसे वंचित व्यक्तियो में वितरित किया जा सके। यह अधिनियम 20 सितंबर, 1960 से प्रभावी हुआ था। अधिनियम, 1960 की धारा 5(क) एवं 5(ख) निम्नानुसार उपबंधित करती है:–

"5 भूमि के स्थानांतरण या उपविभाजन पर प्रतिबंध तथा उनके उल्लंघन मे किए गए हस्तांतरण या उपविभाजन के परिणाम:– तत्समय प्रवृत्त किसी कानून मे किसी बात के होते हुए भी, कोई भी भूमि –

(क) चाहे बिक्री के माध्यम से (सिविल न्यायालय के आदेश या किसी अन्य विधिक प्राधिकारी के निर्णय या आदेश के निष्पादन में बिक्री सहित) या दान, विनिमय, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरित किया गया हो; या

ख) उप–विभाजित (सिविल न्यायालय या किसी अन्य विधिक प्राधिकारी के आदेश या डिक्री द्वारा उप–विभाजन सहित) चाहे विभाजन द्वारा या अन्यथा;

जब तक धारा 11 के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता, तब तक कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना।

09. उक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक विश्लेषण उपरांत यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि 1960 के अधिनियम की धारा 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है कि उसमें निहित निषेध का उल्लंघन कर किया गया स्थानांतरण शून्य होगा, तथापि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 सहपठित धारा 4 संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के संदर्भ में इसके परिणामस्वरूप स्थानांतरण शून्य ही होगा । धारा 5 का उद्देश्य धारक द्वारा उसकी जोत का स्थानांतरण अथवा उपविभाजन कर अधिनियम के उद्देश्यों को निष्प्रभावी बनाने से प्रतिबंधित करना था। 1960 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निहित प्रावधान लोकनीति (Public Policy) पर आधारित होने के कारण, कलेक्टर की अनुमति प्राप्त करने की शर्त को अनिवार्य रूप में व्याख्यायित किया जाएगा तथा इस अनिवार्यता के उल्लंघन में किया गया कोई भी स्थानांतरण सभी दृष्टिकोणों से शून्य एवं निष्प्रभावी माना जाएगा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **"मध्यप्रदेश राज्य बनाम राजस्व मंडल एवं अन्य"** के वाद में उक्त आशय के संबंध मे प्रतिपादित किया गया है ।

10. इस स्तर में, 1960 के अधिनियम की धारा 6–बी एवं 6–बीबी का संदर्भ लिया जाना समीचीन होगा, जो निम्नलिखित रूप में प्रवर्तित हैं:–

"**6 ख. संहिता के अधीन दखल–काश्तकार या भूमिस्वामी के अधिकार का प्रोद्भव शून्य होना.–** जहां किसी खातेदार द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, 1959) की धारा 168 के उल्लंघन में अपने खाते में सम्मिलित भूमि का पट्टा दिए जाने के परिणामस्वरूप, यथास्थिति, दखल–काश्तकार या भूमिस्वामी के अधिकार, 1 जनवरी, 1971 से प्रारंभ होकर नियत दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त संहिता की धारा 169 या धारा 190 के अधीन पट्टेदार को प्रोद्भव हो गए हों, वहां ऐसे अधिकारों का प्रोद्भव शून्य होगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार से उनका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा, भले ही इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में कोई बात हो।

"**6 खख. उन मामलों में अधिशेष भूमि की घोषणा, जिन पर धारा 6–ख लागू होती है।–** जहां धारा 6–ख के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप, किसी धारक द्वारा ऐसे प्रवर्तन से पूर्व धारित भूमि की मात्रा में ऐसी वृद्धि हो जाती है कि अधिशेष भूमि की घोषणा करना आवश्यक हो जाता है, वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी अधिशेष भूमि की घोषणा करते समय भूमि को निम्नलिखित क्रम में विनिर्दिष्ट करेगा:–

(i) ऐसे धारक द्वारा धारित भूमि, जो उस भूमि से भिन्न है जिससे धारा 6–ख संबंधित है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) यदि उसके द्वारा धारित भूमि अपेक्षित अधिशेष से कम है तो उसके द्वारा धारित सम्पूर्ण भूमि और धारा 6–ख से संबंधित भूमि का उतना भाग, जो अपेक्षित अधिशेष से कम है।]

1960 के अधिनियम की धारा 6–बी 24.01.1984 से प्रभावी हुई, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1971 से लेकर 1 मार्च 1974 (निर्धारित तिथि) तक अधिभोगी किराएदार (Occupancy Tenant) या भूमिस्वामी को उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिकार शून्य होगा एवं इस अधिनियम के उद्देश्यों की दृष्टि से पूर्णतः निष्प्रभावी होगा।

11. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि भूमि धारक i.e. याचिका में प्रतिवादी क्रमांक 4 (जो अब विलोपित है), ने वर्ष 1970 में वादग्रस्त भूमि उसे पट्टे पर प्रदान किया गया तथा भूमि पर वास्तविक, भौतिक एवं कृषिभोगाधिकार सहित कब्जे में स्थापित किया गया, फलस्वरूप, वर्ष 1970–71 से उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया, जिससे उसे अधिभोगी किराएदार का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसे तहसीलदार के आदेश दिनांक 03.01.1986 के द्वारा मान्यता प्रदान करते हुए उसे भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया तथा उसके नाम पर नामांतरण का निर्देश दिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 04 द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष मे दिनांक 01.01.1971 के पूर्व उसके पक्ष मे पट्टा निष्पादित किए जाने को प्रमाणित किए जाने के संबंध मे याचिकाकर्ता द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं 1960 के अधिनियम की धारा 6–बी में निर्दिष्ट तिथि को छोड़कर, केवल वर्ष 1970 से वादग्रस्त भूमि के कब्जे में होने का दावा किया गया। परिशिष्ट P–2 (खसरा पंचशाला) में वर्ष 1970–71 में वादग्रस्त भूमि बस्तर के महाराजा के नाम पर दर्ज है तथा खसरा पंचशाला के कॉलम–12 में केवल प्रतिवादी क्रमांक 4 (श्रीमती वेदवती) के कथन के अनुसार, वादग्रस्त भूमि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा कृषि हेतु उपयोग में लाया जाना उल्लेखित है किंतु, पट्टे को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.1996, 1960 के अधिनियम की धारा 5, 6(बी) एवं 11 के प्रावधानों के आलोक में मूल रिट याचिकाकर्ता को भूमिस्वामी का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जो स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी हस्तांतरण शून्य होगा। अतः उपर्युक्त प्रावधान पट्टे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या अन्य किसी भी माध्यम से किए गए हस्तांतरण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं। हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विषय वस्तु पर सही दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता या विसंगति नहीं पाई जाती है, अतः अंतः– न्यायालयीय (intra–court) अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

12. हमें अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई गुणात्मक आधार होना दर्शित नहीं होता है, तथा विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होते हुए रिट याचिका को निरस्त किया जाता है । कोई व्यय आदेशित नहीं।

सही/–
श्री पी. आर. रामचंद्र मेनन,
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
श्री संजय के. अग्रवाल,
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक 326/2017

अपीलकर्ता जंगबहादुर सिंह एवं अन्य

बनाम

प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(English)

In construing the provision of the M.P. Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960, the board objective of the Act has to be kept in view as it is a social welfare legislation.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(हिंदी)

म.प्र. कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 के प्रावधान के निर्वचन मे, अधिनियम के विस्तृत उद्देश्य का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामाजिक कल्याण विधान है ।